पत्रांक 199 /अभिकरण, दिनांक 22/01/14

प्रषक,

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली, हाजीपुर।

विषयः— सहदेई बुजुर्ग, प्रखण्ड अन्तर्गत मजरोही उर्फ शहरिया, ग्राम पंचायत में दिनांक 13.06.2013 को फर्जी तरीके से कराये गये मनरेगा के सोशल ऑडिट को रद्द करते हुए फिर से कराने के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

प्रसंगः— जिला जन शिकायत कोषांग परिवाद सं0 2401/18.07.2013 एवं 3354/ 19.09.2013 अभिकरण/मनरेगा शिकायत पत्र संख्या—30/13—14 के तथ्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परिवाद के दिनांक 13.06.2013 को सम्पन्न किये गये मनरेगा के सोशल ऑडिट अंकेक्षण कार्यक्रम को रद्द करते हुए फिर से कराने की मांग की गयी थी। कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 13.06.2013 को सम्पन्न हुए सोशल ऑडिट अंकेक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है तथा दिनांक 13.07.2013 को पुनः ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट अंकेक्षण कार्यक्रम कराया गया है।

सोशल ऑडिट कार्यक्रम में मुख्यतः योजना की चर्चा कर आम सहमति प्राप्त की जाती है। अतः सत्र 2011—12 की योजनाओं का मेरे द्वारा जांच कार्य किया गया है। जांच कार्य में पाये गये योजनाओं के कार्यस्थल की स्थिति प्रतिवेदन में समाहित कर प्रस्तुत की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पताः—
श्री विश्वनाथ पासवान एवं अन्य
ग्राम पंचायत—मजरोही उर्फ शहरिया
प्रखण्ड— सहदेई बुजुर्ग, जिला— वैशाली।

विश्वासभाजन

22/01/14
(पंकज कुमार सिन्हा)
लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक 199 /अभिकरण, दिनांक 22/01/14

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
प्रतिलिपि- जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ।

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत संख्या 30/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति

यह शिकायत पत्र श्री विश्वनाथ पासवान एवं अन्य, ग्राम पंचायत–मजरोही उर्फ शहरिया, प्रखण्ड– सहदेई, जिला– वैशाली के दिनांक 10.09.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।

ग्राम पंचायत मजरोही उर्फ शहरिया में दिनांक 13.06.2013 को फर्जी तरीके से कराये गये मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम को रद्द कर फिर से आयोजित करायी जाये।

शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि पंचायत में किसी भी योजना में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ कागजी खानापूर्त्ति कर कमीशन बाँटकर राशि का गबन किया जा रहा है। बहुत सारे पासबुक और जॉबकार्ड मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक अपने पास रखे हुए है इत्यादि।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग से शिकायत–पत्र से संबंधित तथ्यों के स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि ग्राम पंचायत मजरोही में दिनांक 13.06.2013 को सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था परन्तु पर्याप्त कोरम के अभाव में पुनः दिनांक 13.07.2013 को समाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त पंचायत में सम्पन्न किये गये दोनों सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। समाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

शिकायतकर्त्ता द्वारा दिनांक 13.06.2013 को सम्पन्न हुए समाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये गये थे। जबकि उक्त कार्यवाही को ग्राम सभा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उनके द्वारा अन्य कोई साक्ष्य या कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यक्रम पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13.07.2013 को सम्पन्न किये गये समाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम प्रतिवेदन की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् सभी योजनाओं में कार्य नियमानुसार किये गये है। मनरेगा से क्रियान्वित की गयी योजनाओं के संबंध में आम सहमति प्राप्त किये गये है। शिकायतकर्त्ता द्वारा दिनांक 17.10.2013को कार्यवाही में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन में उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2013 को आयोजित किये गये समाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हमलोगों को नहीं थी तथा ग्राम

सभा के रजिस्टर पर मेरा हस्ताक्षर भी नहीं है। अंकेक्षण कार्यक्रम हेतु कोई प्रचार–प्रसार भी नहीं कराया गया है।

मेरे द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी से दिनांक 13.07.2013 को ग्राम पंचायत– मजरोही उर्फ शहरिया द्वारा प्रतिवेदित समाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव सं0 –5 में वर्णित योजनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।विदित हो कि उक्त योजनाओं पर अंकेक्षण कार्यक्रम में आम सहमति प्राप्त किया गया था। मगर उक्त संबंध में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका।

अतएव दिनांक 19.12.2013 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमती रंजना देवी, पंचायत समिति सदस्य तथा शिकायतकर्त्ता के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई अभिलेख, मापी पुस्तिका इत्यादि उपलब्ध करायी जा सकी।

मेरे स्थल निरिक्षण में सत्र 2011–12 से संबंधित योजनाओं की जांच की गयी। योजना संख्या 61/11–12 जो ग्राम तोई में कृषि फार्म सड़क में मिट्टीकरण एवं ईटंकरण कार्य से संबंधित था, का जांच किया गया। उक्त कार्य योजना क्रियान्वित पाया गया। अन्य योजनाओ यथां पंचायत में वित्तीय वर्ष 2011–12 के मनरेगा अन्तर्गत कराये गये समाजिक वानिकी योजना (वृक्षारोपण) की जांच की गयी। जांच के क्रम मे पाये गये विभिन्न योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है।

योजना संख्या	लगाये गये पौधों की कुल संख्या	जीवित पाये गये पौधों की कुल संख्या	
01/11–12	200	84	
02/11–12	200	64	
03/11–12	200	92	
04/11–12	200	24	
05/11–12	200	34	
06/11–12	200	532	
07/11–12	200		
08/11–12	200		
11/11–12	200	484	
12/11–12	200		
13/11–12	200		
14/11–12	200		
15/11–12	200		
16/11–12	200		

19 / 11–12	200	135	
20 / 11–12	200		
21 / 11–12	200		
22 / 11–12	200		
23 / 11–12	200		
24 / 11–12	200		
25 / 11–12	200	मुखिया द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सड़क बनने के कारण उक्त योजनाओं में लगाये गये पौधे नष्ट हो गये है।	
26 / 11–12	200		
27 / 11–12	200		
28 / 11–12	200		
29 / 11–12	200		
37 / 11–12	200	शून्य	
38 / 11–12	200	शून्य	
39 / 11–12	200	शून्य	
40 / 11–12	200	शून्य	
41 / 11–12	200	शून्य	
42 / 11–12	200	शून्य	
43 / 11–12	200	शून्य	
44 / 11–12	200	शून्य	
45 / 11–12	200	शून्य	
46 / 11–12	200	शून्य	

योजना स्थल पर जीवित पौधों की संख्या कम पाये जाने पर मुखिया को बताया गया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। कार्यस्थल पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पासबुक तथा जॉब कार्ड नहीं दिया गया है। कुछ जॉबकार्डधारी ग्रामीण, जॉब कार्ड सं0 1301,26, 2327, 249 द्वारा बताया गया कि उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। मौके पर इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी,सहदेई बुजुर्ग से सम्पर्क कर सूचित किये जाने पर उन्होनें मजदूरों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर शीघ्र ही शिकायत दूर कर देने का आवश्वासन दिया।

कार्यस्थल के भ्रमण से प्रतीत होता है कि योजनाओं के अन्तर्गत पौधे लगाये गये थे, परन्तु स्थल पर जीवित पौधो की संख्या कम पायी गयी है। अतः उक्त संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई की जाये।

हस्ताक्षर

22/01/14

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।